आदेश अज अदालत अभिलाषा, आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

मु0नं0 150/20

निर्णय दिनांकः–08.01.2021

1. सत्यवीर पुत्र श्री रामस्वरूप
2. कमला पुत्री श्री रामस्वरूप
3. सजना पुत्री श्री रामस्वरूप
4. सावित्री पत्नी रामस्वरूप

समस्त जाति जाट निवासीगण बास बिजोली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं हाल आबाद पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

———— प्रार्थीगण

बनाम

1. मनभरी बेवा गुलाब सिंह
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र गुलाब सिंह
3. भतेरी पुत्री गुलाब सिंह
4. सुनिता पुत्री गुलाब सिंह
5. लक्ष्मी पुत्री गुलाब सिंह

   समस्त जाति जाट निवासीगण झोझुकला तहसील दादरी जिला भिवानी हरियाणा।

6. आनन्द कुमार दत्तक पुत्र उम्मेद सिंह जाति जाट निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
7. ईश्वर पुत्र श्योनारायण
8. औमप्रकाश पुत्र श्योनारायण

   समस्त जाति जाट निवासीगण झोझुकला तहसील दादरी जिला भिवानी हरियाणा।

9. कृष्ण कुमार पुत्र चुन्नीलाल
10. चन्द्रपति पत्नी चुन्नीलाल
11. बनवारी लाल पुत्र ख्यालीराम
12. महासिंह पुत्र ख्यालीराम
13. सुनिल पुत्र बजरंग लाल
14. सुरेश पुत्र बजरंग लाल

    समस्त जाति जाट निवासीगण बास बिजोली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

15. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

———अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:04:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र के [illegible] में इस प्रकार है कि ग्राम पिलोद की सरहद में भूमि ख0न0 [illegible] रकबा 6.54 है0, [illegible] रकबा 0.01 है0, ख0न0 157 रकबा 3.17 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 9.72 है0 [illegible] की सयुक्त खातेदारी की [illegible] तथा विभाजन में प्रार्थीगण के हिस्से मे भूमि ख0न0 [illegible] व 157 आया हुआ है जिससे [illegible] मकान बनाकर आबाद है, नजरी नक्शा पेश किया है। प्रार्थीगण की भूमि से सटती हुई भूमि अप्रार्थी न0 1 लगायत 8 की खातेदारी भूमि ख0न0 158 रकबा 4.39 है0 ग्राम पिलोद स्थित है।

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 156 व 157 में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की खातेदारी की भूमि ख0न0 158 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पिलोद से बिजोली को जाने वाली आम सड़क तक 15 फुट चौड़ा रास्ता जिसे नजरी नक्शे में बिन्दु क,ख,ग से दर्शाया है को नया कायम करने के लिए धारा 251(क) की उपधारा 2 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन किया।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया प्रस्तुत समन्न तलवाने से अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से तलब किया। तहसीलदार सूरजगढ़ से मौका जॉच रिपोर्ट की तहरीर जारी की गई। अप्रार्थीगण की तामील होने पर उनकी ओर से कोई हाजिर नही आये उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। वकील प्रार्थीगण की बहस सूनी गई अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका जॉच रिपोर्ट के अनुसार जॉच रिपोर्ट में क,ख,ग बिन्दु से दर्शित भाग को नया रास्ता कायम करने एवं रास्ते में जाने वाली भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 157 की पूर्वी सीमा अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 की भूमि ख0न0 158 में शामिल करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका जॉच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 156,157 में आने जाने के लिए जॉच रिपोर्ट में दर्ज रास्ते से कम दुरी का दुसरा कोई निकटतम रास्ता नहीं है तथा ना ही अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नही है अप्रार्थीगण की ओर से कोई हाजिर नही आया इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में आने जाने के लिये तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका जॉच रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2020/308 दिनांक 16.12.2020 के मुताबिक प्रस्तुत नजरी नक्शा के मुताबिक भूमि ख0न0 158 स्थित ग्राम पिलोद में बिन्दु क,ख,ग तक लम्बाई 105.5 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर कुल 527.50 वर्ग मीटर भूमि ख0न0 158 रकबा 4.39 है0 मे से कम की जाकर नया रास्ता कायम किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस रास्ते में कायम की गई भूमि 527.50 वर्गमीटर के बदले ख0न0 157 के पूर्वी सीमा के सहारे सहारे ख0न0 158 में शामिल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरजगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह रास्ते की भूमि का रास्ता राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार की मौका जांच रिपोर्ट क्रमांक 308 दिनांक 16.12.2020 निर्णय का आवश्यक अंग होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:04:26 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 08.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Scanned with CamScanner